

**फॉर्म एनएल-18-प्रावधान अनुसूची  
प्रावधान**

	विवरण	31 मार्च 2017 तक (₹ '000)	31 मार्च 2016 तक (₹ '000)
1	अनपेक्षित जोखिम के लिए रिजर्व	419,82,45.69	451,74,82.09
2	प्रीमियम की कमी के लिए रिजर्व	42,00,00.00	110,20,00.59
3	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए रिजर्व	2,44,24.00	2,44,24.00
4	कराधान के लिए - आयकर (अग्रिम कर का शुद्ध)	-	-
5	प्रस्तावित लाभशों के लिए	72,50,00.00	65,00,00.00
6	लाभश वितरण कर के लिए	14,75,92.94	13,23,24.71
7	सेवानिवृत्ति सुविधाओं के लिए - छुट्टी का नकदीकरण एवं लंबी सेवा - ग्रेच्युटी - पेंशन	42,40,43.87 10,65,41.32 10,00,90.13	39,75,78.24 8,87,95.86 22,80,53.86
8	कम कारोबार के शेषों के लिए	-	5,65.95
	<b>कुल</b>	<b>614,59,37.95</b>	<b>714,12,25.30</b>

<https://www.ecgc.in>